

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES:

ACT, XXI OF 1860.

No. S/ 10081

of 1979

I hereby certify that श्री सुरव्यदार सिंह रंगूरी

शिक्षा समिति

has this day been registered under the Societies

Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at Delhi this 5 day



of 1979 thousand nine

hundred and उत्तरास

REGISTRATION FEE OF RS:50/- PAID.

Certified to be true Copy
at 8.8.79
Registrar of Society Delhi

REGISTRAR OF SOCIETIES:
DELHI ADMINISTRATION
DELHI.

Office of the Registrar of Society

C.P.O. Building Kashmere Gate,
DELHI

Kanika
21/3/79

श्री सुरव्यदार सिंह
1979

श्री मुक्तयार सिंह स्मृति शिक्षा समिति

का

ज्ञापन - पत्र

- 1- समिति का नाम : श्री-मुक्तयार सिंह स्मृति शिक्षा समिति, होगा
- 2- समिति का कार्यालय : समिति का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व डा0
पूठ क्ला, दिल्ली संघ राणा क्षेत्र दिल्ली में
ही रहेगा ।

3- उद्देश्य :-

- 1) वात विद्या मन्दिर पूठ क्ला, दिल्ली- 41 को पुनः
स्व से संचालन करना तथा उसका प्रकथ करना ।
- 2) नर्सरी से प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के लिये स्कूल,
गुरुकुल एवं कालेज आदि खोलना ।
- 3) संस्कृत, प्राकृत एवं पाली आदि भाषाओं एवं भारतीय
संस्कृति के प्रचार - प्रसार के लिये विद्यालय, महाविद्या
लय एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना ।
- 4) चरित्र निर्माण का शिक्षा देना एवं छात्रों में समाज, राष्ट्र
एवं विश्व की सेवा भावना को जागृत करना ।
- 5) बालोपयोगी एवं समाज उपयोगी पत्रिका एवं ग्रन्थों
का प्रकाशन करना ।
- 6) महिलाओं के लिये खिलाई क्लबों की स्थापना करना ।
- 7) पिछड़े वर्ग एवं देहात के क्षेत्रों में निःशुल्क औद्योगिक
की स्थापना करना ।
- 8) प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना तथा उनका
प्रकथ करना ।
- 9) योग-ध्यात के लिए योग आश्रमों की स्थापना करना
तथा लोगों को योग ध्यात के पुरे जानकारी देना ।

- 10) कर्चों के मनोरंजन की व्यवस्था करना तथा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- 11) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये चल एवं अचल सम्पत्ति भेंट के रूप में स्वीकार करना ।
- 12) औद्योगिक प्रशिक्षण के केंद्रों की स्थापना करना तथा लोगों को उद्योग सम्बन्धित पूरी जानकारी देना ।
- 13) उद्योग से सम्बन्धित नई-नई चीज करने में सरकार को सहयोग देना ।
- 14) नव-युवकों में अच्छे नागरिक बनने की भावना उत्पन्न करना ।
- 15) गरीब परिवारों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना ।
- 16) बेरोजगारों को रोजगार सम्बन्धित जानकारी देना तथा मिन्न-मिन्न केंद्रों की स्थापना कर के बेरोजगारी दूर करने में सरकार का सहयोग देना ।
- 17) ऐसे सभी कार्य करना जो सौदागरी/समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों ।

उपर्युक्त उद्देश्य नं० 1 से 17 तक सभी समाजिक उद्देश्य हैं जो समिति को भी ध्यान देना होगा, वह केवल समिति के उद्देश्यों पर ही ध्यान देना होगा ।

श्री मुख्तियार सिंह स्मृति शिक्षा समिति

के

नियम व उप-नियम

- १) समिति का नाम श्री मुख्तियार सिंह स्मृति शिक्षा समिति, हांगा ।
२) समिति का कार्यालय स्काना ग्राम व डाकखाना- पूठ क्ला, दिल्ली-110021, हरियाणा राज्य, दिल्ली, में हो रहेगा ।

३) सदस्यता
कौड़ों से स्त्री या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष की हो तथा समिति के नियम व उप-नियमों को मन, मन, धन एवम् पूजा निष्ठा के साथ मानना हो वह व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन सकता है । सदस्यता निम्न प्रकार की होगी :-

(१) आजीवन सदस्य

(२) प्रतिष्ठित सदस्य

(३) सामान्य सदस्य



(१) आजीवन सदस्य

आज के सदस्य से प्रस्तावित होने पर समिति को 1000-रुपया नाम लेना होगा जो समिति के कार्यों के लिए कौड़ों से व्यय प्रदान करेगा । आजीवन सदस्यता हम दान, दाताओं के दया पर निर्भर करेगी । यदि वे आजीवन सदस्य बनना चाहें तो ।

(२) प्रतिष्ठित सदस्य

किस भी व्यक्ति को समिति के कार्यालयों में बहुत से बनाना चाहिए ।

(३) सामान्य सदस्य

शिक्षा प्रार-प्रकार विद्यार्थियों में विद्यमान रहने वाले हर एक नागरिक समिति को 25-रुपया मुद्रक द्वारा नियमानुसार सदस्य बनने का अधिकारी है । जिससे अवधि पांच वर्षों है ।

कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

- | | |
|----------------|-----|
| (1) प्रधान | 1 |
| (2) उप-प्रधान | 2 |
| (3) महासचिव | 1 |
| (4) उप-सचिव | 1 |
| (5) कोषाध्यक्ष | 1 |
| (6) सदस्यमण्डल | सात |

कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) समिति के समस्त कार्यों की देखभाल करना ।
- (2) समिति का बजट तैयार करना ।
- (3) समिति के कर्मचारियों के लिए उत्तरीय नियुक्त करना तथा उनका वेतन बढ़ाना/कटाना तथा नौकरी से निराकरण ।
- (4) दिवस ख्याती ले पूर्ण करना ।
- (5) निम्न-लिखित ग्राहकों को प्रोत्साहित करना ।
- (6) समिति के कार्यों को यथासंभव त्वरित करना ।



साधारण समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) समिति के समस्त आय-व्यय को पास करना ।
- (2) समिति के निम्न एवं उप-निम्न में प्रवेश करना ।
- (3) कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना ।

कार्यकारिणी समिति के प्रदायिकाधिकारों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) प्रधान :- कार्यकारिणी समिति और साधारण समिति की लेखों को अंशदाता करेगा । बरतन में जाने पर कुछ निम्नलिखित मत देने का अधिकार होगा । समिति के कर्मचारियों के लिए (50) अनुभव तक व्यय करने का अधिकार होगा तथा इससे अधिक की राशि के लिये कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी ।

दानों उप-प्रधान, प्रधान को अनुपस्थिति में
 उनके कार्यों के देखाद करें तथा हर कार्यों में
 उनका सहयोग दें।

(२) महासचिव :-

यह समिति को और से हर प्रकार का पत्र-व्यवहार करेगा
 और कार्यकारिणी समिति और साधारण समिति
 को बैंक आदि नुमाने का दखल पूरा अधिकार होगा।
 समिति का सम्पत्त आय व व्यय का ब्यौरा समिति
 का तैयार काले कार्यकारिणी समिति व साधारण
 समिति को बैंक में प्रस्तुत करेगा। समिति के सम्पत्त
 कार्यों की देखाद करेगा। और भी मिले सकेगी
 तो इस समिति के आगे वन भता रहे होंगे। फन्तु
 उनके त्याग-पत्र देने पर, जो इन्हीं कृत्य के अन्त
 इस मद का चुनाव साधारण समिति करेगा।
 समिति के कार्यों के लिए समिति को दायर करे
 का इन्हीं पूरा अधिकार होंगे। समिति के
 त्व के लिए कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे।
 समिति को अधिकार होंगे। यदि जरूरत पड़े तो महासचिव को अधिकार प्रस्ताव
 द्वारा जो 23 सितम्बर के अंत से प्राप्त किया गया है कार्यकारिणी से सिफारिश
 कर सकेंगे।



(३) पंचक :-

यह महासचिव को अनुपस्थिति में उनके सम्पत्त कार्यों
 को देखाद करेंगे।

(४) कोषाध्यक्ष :-

यह कोषाध्यक्ष के मददगारों से सन्दा इकट्ठा करेगा
 जो समिति के सम्पत्त आय-व्यय का कुरा करेगा
 करेगा। 100/- सम्पत्त त्व को शक्ति को अपने पास
 रखने का कुरा अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त शक्ति को
 बैंक आदि में जमा कराना होगा। बैंक से सम्पत्त
 निकालने के लिये समिति के कार्यकारिणी के
 सहयोग होने आवश्यक है :-

- (1) महासचिव
- (2) कोषाध्यक्ष

- २) यदि कोई सदस्य समिति के नियम व उप-नियमों को नहीं मानता है तो उसे सदस्यता से निकालने का कार्यकारिणी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
- ३) मृत्यु हो-ने पर, पागलपन होने पर व त्याग-पत्र देने पर उससे सदस्यता कार्यकारिणी समिति द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
- ४) नियमित शुल्क न देने पर, उससे सदस्यता कार्यकारिणी समिति द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

१२) न्यायालय:-

न्यायालय में कोई भी केस आदि फाइल करना हो वह समिति के नाम से ही होगा और समिति के नाम से केस फाइल करने का केवल समाप्त को ही पूर्ण अधिकार होगा। न. वि. एक्ट १९६० की धारा ६ के अन्तर्गत होगा।

१४) सशोधन :-

समिति के त्थापन-पत्र में सशोधन का भाग हो तो वह संस्था पंजीकरण अधिनियम १९६० के धारा १२ व १२-अ के अन्तर्गत होगा।



१५) विघटन:-

समिति को यदि विघटन करना आवश्यक माना जाय तो वह अधिनियम संशोधन अधिनियम १९६० के धारा १२ व १४ के अन्तर्गत होगा।

१६) श्री राजा लाल, दिल्ली, के द्वारा प्रभासी समिति पंजीकरण अधिनियम १९६० का २१ (संशोधन अधिनियम १९५७) के

१७) ऋण:-

सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत समिति को ऋण लेना है। समिति को यह अधिकार है कि किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, व्योक्त से ऋण ले सकती है।

ठेक (१)

कार्यकारिणी समिति की ठेक महिने में एक बार होनी अनिवार्य होगी।

(२)

साधारण समिति की ठेक में वहाँ में एक बार होनी अनिवार्य होगी।

कौरम :-

कार्यकारिणी समिति और साधारण समिति की ठेकों में ११ सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति में ठेक स्थगित कर दो जायेंगी। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल ५ वहाँ होगा।

समिति का वित्तिय वहाँ १ अप्रैल, से ३१ मार्च तक होगा।

(०) चुनाव प्रणाली :-

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव साधारण समिति के सदस्यों द्वारा होगा और कार्य-कारिणी समिति के चुने हुए सदस्य ही पदाधिकारिय का चुनाव करेंगे। चुनाव हाथ उठा कर ही होगा।

(१) चुनाव सूची पंजना :-

कार्यकारिणी समिति के चुने हुए सदस्यों के नाम, पद का पता, व्यवसाय, तथा समिति में पद के एक सूची हर वहाँ संस्था पत्रिके एक कार्यादि को भेज दी जायेंगी जो कि एक्ट १९६६ के धारा ५ के अनुसार होंगी।

(२) सदस्यता से उचित करना :-

(१) यदि कोई सदस्य लगातार तीन ठेकों में बिना किसी सूचना के उपस्थित नहीं होता है तो उसे सदस्यता से निष्काटने का कार्यकारिणी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।